

राजस्थान सरकार
न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं
सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा

क्रमांक: भूमि अवाप्ति/प्रतिकर/प्र0सं0/119/2018

दिनांक मार्च, 2019
05-04-2019

उनवान

1. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा	बनाम	1. श्री प्रमोद कुमार, श्री विनोद कुमार पुत्र मोहन लाल, निवासीयान रूपाहेली, 2. श्री संजय पुत्र मोहन लाल बैरवा, निवासी रूपाहेली, तहसील डुरड़ा, जिला भीलवाड़ा रहन BOB शाखा रूपाहेली
---प्रार्थी		---विपक्षीगण


:: संशोधित अवाई आदेश ::

**अवाई अन्तर्गत धारा 3 G एवं Section 24 of RFCTLARR Act, 2013 to
Acquisition Under NH Act, 1956**

राष्ट्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा 3D दिनांक 01/03/2018 से राजमार्ग संख्या 79 के छःलेन निर्माण/चौड़ाकरण हेतु राजस्व ग्राम रूपाहेली की आराजी नं० 4048/1234 में से अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में नवीन भूमि अर्जन पुनःवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत प्रकरण में प्रतिकर निर्धारण किया जाकर निर्धारित राशि 5,90,246- रुपये का भुगतान हितबद्ध को किये जाने हेतु अवाई दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को जारी किया गया था। अवाई की प्रति प्रार्थी परियोजना निदेशक को भेजकर निर्देश दिये गये थे कि निर्धारित प्रतिकर राशि का बजट न्यायालय के बैंक अकाउन्ट में शीघ्र जमा कराया जावे।

नवीन भूमि अधिनियम, 2013 में प्रतिकर निर्धारण हेतु ब्याज की गणना अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन अथवा स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन की दिनांक से की जानी है, के संबंध में स्थिति स्पष्ट कराने हेतु प्रार्थी परियोजना निदेशक को बैठक दिनांक 10/04/2018 दिनांक 31/05/2018 दिनांक 25/06/2018 में निरन्तर निर्देशित किया गया था तथा पत्रांक 94 दिनांक 16/04/2018, पत्रांक 135 दिनांक 01/06/2018, पत्रांक 152 दिनांक 28/06/2018 से लिखित में जानकारी भी चाही गई थी। प्रार्थी परियोजना निदेशक द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने, उनके प्रतिनिधि द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक से ब्याज देय होना बताये जाने पर तदनुसार अवाप्ताधीन भूमि की मूल कीमत राशि पर ब्याज की गणना की जाकर न्यायालय द्वारा अवाप्ति प्रकरण में प्रतिकर का निर्धारण किया गया था।

परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा ने प्रकरण में अवाई जारी होने के उपरान्त पत्रांक: 5192 दिनांक 16/01/2019, जो इस न्यायालय में दिनांक 21/01/2019 को प्राप्त हुआ, से अवगत कराया कि 12% ब्याज की गणना 3A अधिसूचना के समाचार पत्र में प्रकाशन की दिनांक से की जानी है। पत्रांक 5252 दिनांक 24/01/2019 से ब्याज गणना के संबंध में प्राधिकरण मुख्यालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण दिनांक 06/10/2015 की प्रति उपलब्ध करायी है तथा पत्रांक: 5343 दिनांक 06/02/2019 से प्रकरण में जारी अवाई को संशोधन कराने का अनुरोध किया है।


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)
भीलवाड़ा

अतः प्रार्थी द्वारा किये गये अनुरोध एवं प्राधिकरण द्वारा जारी स्पष्टीकरण के क्रम में राजमार्ग संख्या 79 के छःलेन निर्माण/चौड़ाकरण हेतु राजस्व ग्राम रूपाहेली तहसील हुरड़ा की अवाप्ताधीन आराजी नं० 4048/1234 में से 0.0360 हैक्टर भूमि के निर्धारित किये गये प्रतिकर आदेश/अवार्ड दिनांक 14/12/2018 में भूमि कीमत के देय ब्याज में तदनुसार संशोधन किया जाता है। अवार्ड में अंकित प्रपत्र के कॉलम सं० 12 में दिनांक 21/8/2017 से 14/12/2018 तक कुल 480 दिवस की ब्याज राशि 35,046- रुपये के बजाय दिनांक 02/09/2017 से दिनांक 14/12/2018 तक कुल 468 दिवस का ब्याज राशि 34,169- रुपये पढ़ी जावे तथा कॉलम सं० 13 में कुल मुआवजा राशि 5,90,246- रुपये के बजाय 5,89,369- रुपये पढ़ी जावे तथा नीचे दिये गये विवरण में क्र०सं० 1 में कुल प्रतिकर राशि 5,90,246- रुपये के बजाय 5,89,369- रुपये पढ़ी जावे तथा क्र०सं० 3 में शुद्ध भुगतान योग्य राशि 5,90,246- के बजाय 5,89,369- रुपये अक्षरे पांच लाख निवासी हजार तीन सौ उनतर रुपये पढ़ी जावे।



प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं -

1. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा
2. तहसीलदार, हुरड़ा
3. हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार श्री प्रमोद कुमार पुत्र मोहन लाल, निवासी रूपाहेली, तहसील हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा
4. हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार श्री विनोद कुमार पुत्र मोहन लाल, निवासी रूपाहेली, तहसील हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा
5. हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार श्री संजय पुत्र मोहन लाल बैरवा, निवासी रूपाहेली, तहसील हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा

(राकेश कुमार)
अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति),
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति),
भीलवाड़ा

अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति),
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति),
भीलवाड़ा